

File No. NRC/NCTE/NRCAPP-1592/189<sup>th</sup> Meeting/2011/13420 Dated: 14 DEC 2011


SUB.: SHOW CAUSE NOTICE BEFORE REJECTION OF APPLICATION -REG.

WHEREAS, Sardar Patel Smarak Shikshan Sansthan, Plot/Khasra No. – 326, 133M, Street/Road- Akbarpur Sikandarpur, Village/Town/City- Larpur, Post Office- Larpur, Tehsil/Taluka- Akbarpur, Town/City- Akbarpur, District- Ambedkar Nagar, State- Uttar Pradesh, Pin Code- 224186 had submitted the application to the Northern Regional Committee for grant of recognition for D.El.Ed. Course in terms of section 14/15 of NCTE Act, 1993 on 06.10.2010 in the name of proposed Institution i.e. Sardar Patel Smarak Mahavidyalaya Larpur, Plot No. – 324, 133M, Street Number- NA, Village – Larpur, Post Office- Larpur, Tehsil/Taluka- Akbarpur, Town/City- Akbarpur, District- Akbarpur Nagar, State- Uttar Pradesh, Pin Code- 224186.

AND WHEREAS, the deficiencies as observed in the application was communicated by NRC to the Institution vide letter No. NRC/NCTE/2010/NRCAPP-1592/DL/4878 dated 15.01.2011 for removal. The reply of deficiency letter submitted by the Institution was carefully considered by the NRC in its 189<sup>th</sup> Meeting as per the provision of NCTE Regulations, 2009, and it was decided by the Northern Regional Committee that the Show Cause Notice under Section 14/15 (3) (b) of NCTE Act, 1993 be issued to the Institution before passing the order for rejection of said application on the following grounds:

- The institution has not completed three academic sessions of the existing course (B.Ed.) at the time of applying for the proposed D.El.Ed. course. As such as per NCTE Regulations, 2009 under Section 8(3) application cannot be accepted.

NOW THEREFORE, in exercise powers vested to the Northern Regional Committee under Section 14/15(3) (b) of NCTE Act, 1993, an opportunity is hereby given to the said Institution for making written representation within 30 days before passing the order for rejection of said application on the grounds mentioned above.



(Dr. Ram Kishor)  
 Regional Director

To,

The Secretary / Principle  
 Sardar Patel Smarak Shikshan Sansthan,  
 Plot/Khasra No. – 326, 133M, Street/Road- Akbarpur Sikandarpur,  
 Village/Town/City- Larpur, Post Office- Larpur,  
 Tehsil/Taluka- Akbarpur, Town/City- Akbarpur,  
 District- Ambedkar Nagar, State- Uttar Pradesh, Pin Code- 224186

डॉ० राम मनोहर लोहिया अवधि विश्वविद्यालय, फैजाबाद (उ०प्र०)  
Dr. RAM MANOHAR LOHIA AVADH UNIVERSITY, FAIZABAD (U.P.)

पत्रांक /Ref. : लो०उ०चि०/सम्बद्धन/ ११३ /२००४

दिनांक/Date : १३-९-२००४

सेवा में,

प्रबन्धक/प्राचार्य

तरदार पठेल स्मारक महाविद्यालय,  
लारपुर, अम्बेडकरनगर ।

महोदय,

कुलाधिति के विशेष सचिव के पत्र संख्या- ई.स./ ४९२० / जी० स्स० ,  
दिनांक २५-८-२००४ द्वारा महामहिम कुलाधिति महोदय ने उत्तर प्रदेश राज्य  
विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ को धारा ३७।२। के सुसंगत प्रावधानों के अधीन  
आपके महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर कला संकाय में हिन्दी, अंग्रेजी, प्रारूपितात्मा,  
भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र एवं गृह विज्ञान विषयों में स्वित्त प्रोफित योजनान्तर्गत  
निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक १-७-२००४ से सम्बद्धता की स्वीकृति सर्वप्रथम प्रदान कर  
दी है । आपके महाविद्यालय को शासन/विश्वविद्यालय प्रबोधन समिति के नियमानुसार प्रबोधन  
लेने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

- १- संस्था उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-२८५।/उत्तर-२-२००३-  
-१६ १९२१/२००२, दिनांक २ जुलाई, ०३ में उल्लिखित दिशा निर्देशों एवं समय-समय  
पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी । इसकी जाँच विश्वविद्यालय  
कभी भी करा सकता है ।
- २- यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परि नियमावली में वर्णित तथा शासन द्वारा  
निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं  
किया जायेगा तो उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ के सुसंगत प्रावधानों  
के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही  
नियमानुसार की जायेगी ।

भवदीय,

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

- १- परीक्षा नियन्त्रक, डॉ०रा०म०लो० अध्य विश्वविद्यालय, फैजाबाद ।
- २- लेखा विभाग, डॉ०रा०म०लो० अध्य विश्वविद्यालय, फैजाबाद ।
- ३- उप कुलसचिव।परीक्षा।, " " " " "

राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश  
लखनऊ-२२७१३२

संख्या-ई.स./  
दिनांक २५/८/२००४  
९९२०  
/जी.एस.  
२००४

प्रेषक,

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

कुलसचिव,  
डॉ राम मनोहर लोहिया अवधि विश्वविद्यालय,  
फैजाबाद।

महोदय,

आपके पत्र संख्या- लो०अ०वि०/सम्बद्धन/७६३/२००४, दिनांक २८.६.२००४ के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निवेश हुआ है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय ने उ०प्र०राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, १६७३ की धारा ३७(२) के सुसंगत प्रावधानों के अधीन सरदार पटेल स्मारक महाविद्यालय, लारपुर, फैजाबाद को स्नातक स्तर पर कला संकाय में हिन्दी, अंग्रेजी, प्राचीन इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र एवं गृहविज्ञान विषयों में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक ९.७.२००४ से सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है :-

१. संस्था उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या - २८५९/सत्तर-२-२००३-१६ (६२)/२००२, दिनांक २ जुलाई, ०३ में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी। विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त महाविद्यालय द्वारा शासनादेश एवं अन्य सुसंगत नियमों का पूर्णस्वृपण परिपालन किया जा रहा है।
२. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली में वर्णित तथा शासन द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ०प्र०राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम १६७३ के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था के प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय,

(राकेश कुमार ओझा)  
कुलाधिपति के विशेष सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

१. सचिव उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, उ०प्र०, १८-ए.न्याय मार्ग, इलाहाबाद।
२. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग लखनऊ।
३. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
४. सचिव सरदार पटेल स्मारक महाविद्यालय, लारपुर, फैजाबाद

(राकेश कुमार ओझा)  
कुलाधिपति के विशेष सचिव

सन०ती०टी०इ०हारा तथ्य-तथ्य पर जारी नीति विध्यक आदेशों एवं नियमों का अनुषालन करेगी।

- ॥६॥- उक्त घाट्यक्रम के बाबत किती लायबिलिटी ते राज्य तरकार का कोई तरकार नहीं होगा बर्ते कि ऐता किती अधिनियम में ही न अपेक्षित हो।
- ॥७॥- राज्य तरकार एवं राष्ट्रीय अध्यायक सिंधा परिधित द्वारा निपारित मानकों के अनुतार भूमि, भवन एवं अन्य अवस्थापना रुचिपात्रों की उपलब्धता तम्बद्धता ते पूर्व तंस्थान द्वारा रुचिता की जायेगी।
- ॥८॥- मानकानुतार आवश्यक भूमि महाविद्यालय के नाम राजस्व अभियोगों में दर्ज कराकर खतोनी की प्रति तक्षण राजस्व अधिकारी ते प्राप्ताणित कराकर अध्या भूमि किती विकात प्राधिकरण ते कुप्र किबे जाने की स्थिति में लीजडीड की प्राप्ताणित प्रति तम्बद्धता के प्रस्ताव के ताथ उपलब्ध कराये जायेगी।
- ॥९॥- उक्त घाट्यक्रम का तंचालन अनापत्ति हेतु उपलब्ध कराये गये भू-अभियोगानुतार ग्राम लाल्हुर की गाटा तं०-१३३५/क्ष०-०.५९९५०, १४२/क्ष०-०.०१६५० १२९क/०.०५७५०, १२४/०.३१६५० ग्राम तिकन्दरल्हुर को गाटा तं०-१६८०/क्ष०-०.११३५० ग्राम तलाल्हुर रजीर को गाटा तं०-४५/क्ष०-४.०४८५० कुल ६ किता/कुल क्ष०-५.१४९५० पर ही किया जायेगा। अन्य भूखण्ड या स्थान पर तंचालन किबे जाने की स्थिति में यह अनापत्ति स्वतः निरस्त हो जायेगी।
- ॥१०॥- ग्रा०तबौच्च न्यायालय द्वारा रिट यापिका तंछ्या-३५०/१९९३ इस्लामिक एकेडमी आफ एजुकेशन एवं अन्य बनाम कन्टिक राज्य में पारित आदेश दिनांक १४-८-२००३ के क्रम में प्राप्तिक शिक्षा अनुमान-। के कायलिय आदेश तंछ्या-५९१/२००४-लोलह-१-५१८३०-४८/२००३, दिनांक: २०प्रबरी, २००४ के अनुतार गठित शुल्क निपारिण तमिति के तमक्ष तंस्था अपनी प्रस्तावित पीत टट्वधर प्रस्तुत करेगी तथा अन्य आवश्यक रुहुंगत अभियेख भी प्रस्तुत किये जायें। शुल्क निपारिण तमिति द्वारा निपारिण कीत ते अधिक शुल्क तंस्था/महाविद्यालय द्वारा नहीं लिया जायेगा। यदि इतकार निपारिण शुल्क ते अधिक शुल्क अध्या किती अन्य अद यथा डोनेशन के सम में कोई भी तंस्था लेती है तो वह माना जायेगा कि तंस्था फैक्ट्रेशन कीत ते रही है। ऐती स्थिति में तंस्था दण्डिता की जायेगी और वह प्रदत्ता की जाने वाली अनापत्ति स्वतः तमाप्त हो जायेगी।
- ॥११॥- स्वविता घोषित तंस्थाओं में ऐजेजेंट कोटे का निपारिण ग्रा०तबौच्च न्यायालय द्वारा रिट यापिका तंछ्या-३५०/१९९३ इस्लामिक एकेडमी आफ एजुकेशन एवं अन्य बनाम कन्टिक राज्य में पारित आदेश दिनांक: १४-८-२००३ के क्रम में

प्रदेश तरकार द्वारा निपारित किया जायेगा। तंस्था को यदि कोई आपरित होगी तो वह प्राविधिक शिक्षा अनुमति-। के कायलिय आदेश तंख्या-592/2004-तोलट-।-5॥डब्लू-48॥/2003, दिनांक: 20 फरवरी, 2004 द्वारा गठित तमिति के तमस्त अभना आवेदन करेंगे। तमिति का निर्णय अन्तिम होगा।

12- मात्रबोच्च न्यायालय द्वारा रिट प्राधिका तंख्या-350/1993 इस्लामिक एकेडमी आक सजूकेशन एवं अन्य बनाम कनटिक राज्य में प्रारित आदेश दिनांक:

14-8-2003 के क्रम में मैनेजमेंट कोटा में प्रदेश मेरिट के आधार पर होगे तथा वह प्रक्रिया पूर्णीकृत होगी। किंतु छात्र/छात्राओं का मैनेजमेंट कोटा में प्राविद्यालय में प्रदेश के पूर्व विश्वविद्यालय का अनुसोदन आवश्यक होगा। तमस्त विश्वविद्यालय द्वारा वह तमिति द्वारा आदेश के अनुतार तंस्था द्वारा या तो तमस्त विश्वविद्यालय द्वारा नी गयी प्रदेश परीक्षा के आधार पर प्राप्तोत्तिष्ठन आक कालेज के द्वारा नी गयी प्रदेश परीक्षा के आधार पर निपारित मेरिट के अनुतार ॥ मैनेजमेंट कोटे में प्रदेश द्वारा जायेगा। यदि एतोत्तिष्ठन आक कालेज द्वारा प्रतियोगिता परीक्षागायोजित की जाती है तो ऐसी परीक्षा की प्रारदर्शिता देखने तथा प्रस्तावित प्रश्नपत्र, प्रैर टेटर, परीक्षा ग्राहिकों की जानकारी प्राविधिक शिक्षा अनुमति-। के कायलिय आदेश तंख्या-592/2004-तोलट-।-5॥डब्लू-48॥/2003, दिनांक: 20 फरवरी, 2004 द्वारा गठित तमिति तो की जायेगी। वह तमिति ऐसी प्रदेश परीक्षा के व्यवस्थण के लिए अधिकृत होगी जितते कि परीक्षा निष्पक्ष स्म ते तंस्था लित हो तके।

13- यदियह पापा जाता है कि मैनेजमेंट कोटे में प्रदेश मात्रबोच्च न्यायालय द्वारा रिट प्राधिका तंख्या-350/1993 इस्लामिक एकेडमी आक सजूकेशन एवं अन्य बनाम कनटिक राज्य में प्रारित आदेश दिनांक: 14-8-2003 के द्वारा निपारित प्रारदर्शी तथा मेरिट के आधार पर नहीं की जाती है तो तमस्त तंस्था की अनावृत्ति स्वतः निरस्ता तमस्ती जायेगी।

2- कृष्णा उपर्युक्तानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

ममदीप,

॥ जगन्नाथ शाल ॥  
तपुकता तपित ॥

तंख्या- 3727 ॥।।/तत्तार-6-2004, तद्वा दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को तूहनार्थ एवं जावश्यक कार्यवाही देहु प्रेप्ता:-

1- द्वेषीय निदेशक, राष्ट्रीय उच्चावक शिक्षा परिषद उत्तार द्वेषीय तमिति ए-46  
ग्रान्तिवाद तिलकनगर, जबुरु।

2- प्रबन्धक, तरदार घटेल स्थारक महाविद्यालय, लारबुर, अम्बेडकरनगर।

3- निदेशक, उच्चाविक्षा, उत्तारप्रदेश, इलाहाबाद।

4- द्वेषीय उच्चाविक्षा अधिकारी, लखनऊ।

5- गाड़ी काडल।

आइते,

॥ जगन्नाथ शाल ॥  
तपुकता तपित ॥

प्रधान,

जगन्नाथ बाल,  
संजुता अधिक,  
उत्तारवदेश भासन।

तेवा में,

बुलतचिक,  
डारोहर नोहिषा अबप बिश्वविद्यालय,  
बैज्ञानिक।

उच्च पिक्षा अनुभाग-6

लेखनक्रम: दिनांक: 28 अक्टूबर, 2004

पिक्षण:- एन०टी०टी०इ०के छेत्रान्तर्गत विभिन्न शास्त्रक्रमों में राज्य तरकार द्वारा अनावश्यक बुद्धान लिखा जाना।

महोदय,

उच्च पिक्षा से सम्बन्धित आपके प्राक्त-लो०३००८०/सम्बन्ध/११५/

2004 दिनांक: 15-9-2004 के सम्बन्ध में दृष्टि यह कहने का निर्देश हुआ है कि राज्य तरकार ने सम्प्रक्रमित विधारोधराना तरदार बैठेल स्थारक ब्रह्मविद्यालय, लारापुर, अम्बेडकरनगर ----- को बी०४३० शास्त्रक्रम स्विता वोक्षा प्रोजेक्ट के अन्तर्गत पिक्षण कार्य क्रातम्य करने हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं उत्तिक्रमों के अधीन अनावश्यक बुद्धान लिखा जाएगा।

- 1।- उक्त शास्त्रक्रम में बुद्धान के लिए तीटों का निधारण राष्ट्रीय अध्यात्मक पिक्षा विधिविद्या जब्बुर द्वारा किया जायेगा।
- 2।- उक्त शास्त्रक्रम राष्ट्रीय अध्यात्मक पिक्षा विधिविद्या, जब्बुर की स्वीकृति लिया जाने और उसके प्रधान विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त होने के बाद ही ब्राह्मण किया जायेगा।
- 3।- उक्त शास्त्रक्रम में सम्बद्धता की स्वीकृति तभी दी जायेगी जब तंस्थान शासनदेश लंख्या-३०७५/तत्त्व-२-२००२-२/१६६/२००२, दिनांक: 27 अक्टूबर, 2002 एवं शासनदेश लंख्या-१९३/तत्त्व-२-२००३-२/१६६/२००३ दिनांक: १३ जनवरी, 2003 तथा तस्य-तस्य पर जारी तत्त्वान्वयी शासनदेशों में विनिर्दिष्ट आनंदों के अनुतार तभी गाव्य बकाया एवं अौषधारिकतायें पूर्ण कर लेगी।
- 4।- उक्त शास्त्रक्रम में स्टाफ के बैतन गांधि पर बड़े बालात्मक व्याग भार तंस्थान द्वारा बहन किया जायेगा एवं सम्बद्धता के लिय इति गाव्य की लिखित अंडरटेकिंग भी प्रस्तुत करनी होगी।
- 5।- तंस्थान विश्वविद्यालय/राज्य तरकार/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं

## आवश्यक

दूरभाष - 05278-245957  
फैक्स - 05278-248123



## डा० राम मनोहर लोहिया अवधि विश्वविद्यालय, फैजाबाद (उ०प्र०)

संख्या : लो०अ०वि०/सम्ब०/2011/ 2789

दिनांक : 7 जुलाई, 2011

12

सेवा में,

प्रबन्धक  
सरदार पटेल स्मारक महाविद्यालय,  
लारपुर, अम्बेडकरनगर

विषय : महाविद्यालय में शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी०ए८० पाठ्यक्रम में कक्षां संचालन हेतु (स्थाई) सम्बद्धता की पूर्वानुमति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या : 1187 / सत्तर-6-2010-2(272) / 2010 दिनांक 25 जून, 2010 के क्रम में मुझसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 (यथा संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम 2007) की धारा-37(2) के अधीन सरदार पटेल स्मारक महाविद्यालय, लारपुर, अम्बेडकरनगर को शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी०ए८० पाठ्यक्रम में 100 सीटों की प्रवेश क्षमता सहित, स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत, महाविद्यालय का सत्र 2008-09 का परीक्षाफल 100 प्रतिशत होने के दृष्टिगत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2010 से डा० राम मनोहर लोहिया अवधि विश्वविद्यालय, फैजाबाद से सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान की जाती है -

- संस्था शासनादेश संख्या: 2851 / सत्तर-2-2003-16(92) / 2002 दिनांक 2 जुलाई, 2003 मे उल्लिखित दिशानिर्देशों एवं इस विषय मे समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन करेगी।
- महाविद्यालय / संस्था द्वारा बी०ए८० पाठ्यक्रम मे शासन द्वारा अनुमन्य समस्त सीटों को सुसंगत एवं अद्यतन शासनादेशों के अनुसार किसी शैक्षिक सत्र मे होने याली संयुक्त प्रवेश परीक्षा मे सम्मिलित एवं काउंसिलिंग के माध्यम से आवंटित अन्यर्थियों के माध्यम से ही भरा जायेगा तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार शैक्षिक दिवसों में पठन-पाठन कराया जायेगा।
- संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों एवं निर्देशों का अनुपालन करेगी। यह सम्बद्धता राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के अनुमोदन के अधीन है।
- यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली / अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधिकों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
- महाविद्यालय द्वारा समय-समय पर ज़ारी शासनादेशों तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत आदेशों का सम्पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा महाविद्यालय को व्यवसायिक आधार पर संचालित नहीं किया जायेगा। उल्लंघन की स्थिति मे सम्बद्धता वापसी की कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय

संलग्नक : यथोपरि

Ashulek  
(एस०क० शुक्ल)  
कुल सचिव।

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक : उपरोक्त

प्रतिलिपि :

- सचिव, उच्च शिक्षा विभाग (अनुभाग-6), उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को शासनादेश संख्या 1187 / सत्तर-6-2010-2(272) / 2010 दिनांक 25 जून, 2010 के सन्दर्भ में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
- निजी सचिव, कुलपति को, कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।

(एस०क० शुक्ल)  
कुल सचिव।

प्रेषक,

आर०क०मिश्र,  
अनु सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,  
डॉ राम मनोहर लोहिया अवधि विश्वविद्यालय,  
फैजाबाद।

उच्च शिक्षा अनुभाग-6

विषय:- महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की पूर्वानुमति  
महोदय,

लखनऊ: दिनांक: ३० दिसम्बर, 2008

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-लो०आ०वि०/सम०/३३५/२००८, दिनांक १३.१०.२००८ के सदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ (यथासंशोधित उ०प्र०राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, २००७) की धारा-३७(२) के परन्तुक के अधीन सरदार पटेल स्मारक महाविद्यालय, लारपुर, अब्बेडकरनगर को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अंतर्गत बी०ए० पाठ्यक्रम में १०० सीटों की प्रवेश क्षमता सहित स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक ०१.०७.२००८ से आगामी एक वर्ष हेतु सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी हैः-

1. महाविद्यालय निरीक्षण आख्या एवं प्रपत्र 'बी' में इंगित समस्त कमियों को पूरा कर लेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
  2. विश्वविद्यालय छात्र आवंटन से पूर्व यह सुनिश्चित करेगा कि निर्धारित योग्यता एवं अर्हता के अध्यापक/विभागाध्यक्ष विश्वविद्यालय से अनुमोदित एवं कार्यरत हैं तथा अन्य किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय में अनुमोदित नहीं हैं।
  3. शासनादेश संख्या-५१२५/७०-२-२००५-२(१६६)/२००५, दिनांक २१.१०.२००५ में दिए गए निर्देशों का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
  4. संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद् द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी।
  5. संस्था शासनादेश संख्या-२८५१/सत्तर-२-२००३-१६(९२)/२००२, दिनांक ०२ जुलाई, २००३ में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
  6. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा इसन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों यी पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ के प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।
  7. आगामी शैक्षिक सत्र में सम्बद्धता का प्रस्ताव उपलब्ध कराने से पूर्व पाठ्यक्रम के नियमानुसार प्रवेश होने, परीक्षाफल, परीक्षा नकल विहीन होने, अध्यापकों/विभागाध्यक्ष का वेतन बैंक के माध्यम से किए जाने के तथ्यों की पुष्टि करने एवं इस संबंध में शासन को सम्यक् आख्या व संस्तुति सुसंगत प्रामाणिक अभिलेखों एवं साक्षों सहित उपलब्ध कराया जायेगा।
- (2) महाविद्यालय उपरोक्त समस्त कमियां आगामी एक माह में पूर्ण कर लेगा।

भवदीय,

(आर०क०मिश्र)  
अनु सचिव।

संख्या-4309(1) / सत्तर-6-2008, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, लखनऊ।
3. क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, उत्तर क्षेत्रीय समिति, ए-४६, तिलकनगर, शांतिपथ, जयपुर।
4. ग्रन्थालय, सरदार पटेल स्मारक महाविद्यालय, लारपुर, अब्बेडकरनगर।
5. निजी सचिव, ना० उच्च शिक्षा मंत्री जी।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर०क०मिश्र)  
अनु सचिव।

डॉ राम मनोहर लोहिया अवधि विश्वविद्यालय, फैजाबाद (उ० प्र०)  
Dr. RAM MANOHAR LOHIA AVADH UNIVERSITY, FAIZABAD (U.P.)

पत्रांक / Ref. : लो ०३० वि० सम्ब० / ६७० / 2009

दिनांक / Date: 02. 02. 2009

सेवा में,

✓ प्रबन्धक,

सरदार पटेल स्मारक महाविद्यालय,  
लारपुर, अम्बेडकरनगर।

महोदय,

अनुसंधिय, उच्च शिक्षा अनुभाग-६ के पत्र संख्या - ४३०९/उत्तर-६-२००८-२  
१३४४/ २००४ टीसी, दिनांक ३० दिसम्बर, २००८ द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय

अधिनियम १९७३ यथासंशोधित उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम २००७ की धारा-३७॥२॥ के परन्तुक के अधीन आपके महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी०४८० पाठ्यक्रम में १०० सीटों की प्रवेश क्षमता सहित स्ववित्त प्रोफिट योजना अन्तर्गत दिनांक ०१.०७.२००८ से आगामी एक वर्ष हेतु सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है। महाविद्यालय को शासन/विश्वविद्यालय की प्रवेश समिति के निर्णयानुसार निम्नलिखित शातों के अधीन प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान की जाती है।

१. महाविद्यालय निरीक्षण आयोग द्वारा एवं प्रपत्र "बी" में इंगित समस्त कमियों को पूरा कर लेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
२. विश्वविद्यालय छात्र आवंटन से पूर्व यह सुनिश्चित करेगा कि निर्धारित योग्यता एवं अर्हता के आधारपक/विभागाध्यक्ष विश्वविद्यालय से अनुमोदित एवं कार्यरत है तथा अन्य किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय में अनुमोदित नहीं है।
३. शासनादेश संख्या - ५।२५।७०-२-२००५-१।१६६।/२००५ दिनांक २।।१०।२००५ में दिए गए निर्देशों का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
४. संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शातों का अनुपालन करेगी।
५. संस्था शासनादेश संख्या - २८५।/उत्तर-२-२००३-१।।९२।/२००२ दिनांक ०२ जुलाई, २००३ में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्णय शासनादेश का पालन करेगी।
६. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शातों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तो उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ के प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।

W.M.

डॉ० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय ,फैजाबाद (उ० प्र०)  
Dr. RAM MANOHAR LOHIA AVADH UNIVERSITY, FAIZABAD (U.P.)

पत्रांक / Ref. : लौ०३०वि०/सम्ब०/

690 / 2009

दिनांक / Date: 02.02.2009

सेवा में,

प्रबन्धक,  
सरदार पटेल स्मारक महाविद्यालय,  
लारपुर, अम्बेडकरनगर।

महोदय,

अनुसंचित, उच्च शिक्षा अनुभाग-6 के पत्र संख्या- 4353/तत्त्व-6-2008-2  
॥ ३८३॥/२००४ दिनांक 30 दिसम्बर, 2008 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय  
अधिनियम १९७३॥ पथात्माओं द्वारा उत्प्र० राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम 2007॥  
की धारा-३७॥२॥ के अधीन आपके महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के  
अन्तर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणि विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं गणित  
विषयों में तथा कला संकाय के अन्तर्गत संस्कृत एवं उर्दू अतिरिक्त विषयों में स्थवित्त  
पोषित योजनान्तर्गत दिनांक 01.07.2008 से सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है  
महाविद्यालय को शासन/विश्वविद्यालय की प्रवेश समिति के निर्णयानुसार निम्नलिखित  
शात्रों के अधीन प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान की जाती है।

1. संस्था शासनादेश संख्या- 2851/तत्त्व-2-2003-16॥१९२॥/२००२ दिनांक 02 जुलाई,  
2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शात्रा-  
देशों का पालन करेगी।
2. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में घण्टित तथा  
शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शात्रों एवं मानकों की पूर्णता तथा  
उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तो उत्प्र० राज्य विश्वविद्या-  
लय अधिनियम १९७३ के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता  
वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।

भवदीय

सहायक कुलसंचित् ॥ सम्ब०॥

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. परीक्षा नियन्त्रक
2. वैयक्तिक सहायक वित्त अधिकारी, वित्त अधिकारी जी के सूचनार्थ ।
3. सहायक कुलसंचित् ॥ परीक्षा ॥ ।

सहायक कुलसंचित् ॥ सम्ब०॥

प्रेषक,

आरोकेमिश्र,  
अनु सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,  
डा० राम मनोहर लोहिया अवधि विश्वविद्यालय,  
फैजाबाद।

उच्च शिक्षा अनुभाग-6

लखनऊ: दिनांक: ३१ दिसम्बर, 2008

विषय:- महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की पूर्वानुमति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-लो०अ०वि०/सम्ब०/358/2008, दिनांक 16.10.2008 तथा पत्रांक-लो०अ०वि०/सम्ब०/334/2008, दिनांक 13.10.2008 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उ०प्र०राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के अधीन सरदार पटेल स्मारक महाविद्यालय, लारपुर, अम्बेडकरनगर को स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के अंतर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणि विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं गणित विषयों में तथा कला संकाय के अंतर्गत संस्कृत एवं उर्दू अतिरिक्त विषयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2008 से सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी हैं:-

1. संस्था शासनादेश संख्या-2851 / सत्तर-2-2003-16(92) / 2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
2. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।

भवदीय,

(आरोकेमिश्र)  
अनु सचिव।

संख्या-4353(1) / सत्तर-6-2008, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, लखनऊ।
3. प्रबन्धक, सरदार पटेल स्मारक महाविद्यालय, लारपुर, अम्बेडकरनगर।
4. निजी सचिव, मा० उच्च शिक्षा मंत्री जी।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आरोकेमिश्र)  
अनु सचिव।

:- 2 -:

4. If the institution contravenes any of the above conditions or any of the provisions of the NCTE Act, Rules, Regulations and/or order made or issued there under, the Regional Committee may withdraw the recognition under the provisions of Section 17(1) of the NCTE Act, 1993. The NCTE Hqrs may also cause inspections under section 13 of the NCTE Act, 1993.

By Order,


(Dr. B. Krishna Reddy)  
Regional Director

The Manager,  
Government of India,  
Department of Publications, (Gazette Section),  
Civil Lines, Delhi - 110054

Copy to:

1. The Secretary, Department of Elementary Education and Literacy, Ministry of Human Resource Development, Government of India, Shastri Bhawan, New Delhi
2. The Education Secretary, Govt. of Uttar Pradesh, Secretariat, Lucknow, U.P.
3. The Director, Directorate of Higher Education, I/C Teacher Education, Govt. of Uttar Pradesh, Directorate, Allahabad (U.P.)
4. The Registrar, Dr. Ram Manohar Lohiya Avadh University, Faizabad, U.P.  
**- to ensure compliance of the Para 3 (a) of the recognition order.**
5. The Member Secretary, National Council for Teacher Education, Hans Bhawan, Wing - II, 1, Bahadur Shah Zafar Marg, (Near ITO), New Delhi-110002
6. The Chairman / Secretary, Sardar Patel Smarak Shikshan Sansthan, Sikandrapur, Akbarpur, Ambedkar Nagar, U.P.
7. The Manager, **Sardar Patel Smarak Degree College, Village + Post - Larpur, Ambedkar Nagar, Uttar Pradesh** - A copy of procedure for creation of fixed deposit in joint account towards Endowment Fund and Reserve Fund is enclosed.
8. The Under Secretary, Computer Section, National Council for Teacher Education, Hans Bhawan, Wing - II, 1, Bahadur Shah Zafar Marg, (Near ITO), New Delhi-110002
9. Computer cell (NRC)



  
Regional Director

**राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्**  
 (भारत सरकार का एक विधिक संस्थान)  
**उत्तर क्षेत्रीय समिति**



**NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION**  
 (A STATUTORY BODY OF THE GOVERNMENT OF INDIA)  
**Northern Regional Committee**

F. NRC/NCTE/F-3/UP-1826/2006/ 7762  
 A P N O 2 0 2 7

Regd./Speed Post  
 Date:

ORDER

**Sardar Patel Smarak Degree College, Village + Post – Larpur, Ambedkar Nagar, Uttar Pradesh** submitted an application to the Northern Regional Committee of National Council for Teacher Education for grant of recognition for B.Ed. Course in terms of section 14(1) of NCTE Act, 1993.

2. Now, therefore, in exercise of the powers vested under Section 14(3) (a) of the NCTE Act, 1993, the Regional Committee hereby grants recognition for B.Ed. course of One year duration w.e.f. the session 2006-2007 with an annual intake of 100 (One Hundred only) students to **Sardar Patel Smarak Degree College, Village + Post – Larpur, Ambedkar Nagar, Uttar Pradesh** at the following address subject to the condition of appointment of qualified staff through duly constituted selection committee as per the norms of NCTE / State Govt./ Affiliating University given effect before the commencement of the course.

**Sardar Patel Smarak Degree College,  
 (Khasra No. 89,225,228,73,227,229,229,686,02 total area 5.149 Hect.)  
 Village + Post – Larpur, Ambedkar Nagar,  
 Uttar Pradesh**

3. The institution shall ensure the fulfillment of the following:-
- (a) The institution shall maintain the teaching staff strength of 1+7 for the proposed B.Ed. Course.
  - (b) The institution shall note that with regard to NET/SLET requirement, the relaxation is allowed only upto the year 2009-2010 as per NCTE Regulation dt. 21.07.2006.
  - (c) The institution shall adhere to all the other regulations and guidelines as framed by NCTE from time to time.
  - (d) The institution shall within one month of the receipt of Recognition order, convert the Endowment Fund account into a Joint Account in the form of FDR for a period of not less than 60 months (Five years) in a Nationalized Bank only to be operated along with an official of the Regional Committee.
  - (e) That the Reserve Fund for an amount of Rs. Three Lakhs be maintained in the form of FDR in favour of the management/institution.
  - (f) Further, the recognition is subject to fulfillment of all such other requirements as may be prescribed by other regulatory bodies like UGC and State Government, etc.
  - (g) The institution shall submit to the Regional Committee a Self-Appraisal Report at the end of each academic year along with a copy of the approval of the affiliating University / State Directorate of Education about the appointment of faculty members and the Statement of Annual Accounts duly audited by a Chartered Accountant.
  - (h) The institution shall regularly update its website.

Contd. 2...

कार्यालय : ऐ-४६, शान्ति पथ, तिलक नगर, जयपुर-३०२००४ (राजस्थान)  
 कार्यालय : उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चण्डीगढ़, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान


Phone No. : 0141-2623501 (O), Telefax No.: 0141-2620116 (RD)

Office : A-46, Shanti Path, Tilak Nagar, Jaipur-302004 (Rajasthan)  
 Jurisdiction: U.P., Uttarakhand, Delhi, Haryana, Punjab, Chandigarh, H.P., Rajasthan

Signature

E-mail: nrc@ncte-in.org

website: <http://www.ncte-in.org>





STD CODE: 05278  
V.C. 246223(O) 246224 (R)  
Fax : V.C. 246330 (O), 245209(R)  
Registrar- 245957(O), 246042(R)  
Fax : Registrar- 248123(O)  
F.O.-246386(O)

## डॉ राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद(उप्र०)

---

### DR. RAM MANOHAR LOHIA AVADH UNIVERSITY, FAIZABAD (U.P.)

---

पत्रांक: लो०आ०वि०/१०एफ०— / सम्ब०/२०११/ 2011

दिनांक: 24.02.2011

२५

सेवा में,

प्रबन्धक,  
सरदार पटेल स्मारक महाविद्यालय  
लारपुर, अम्बेडकरनगर।

महोदय,

कृलपति महोदय ने स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत लागू शासनादेश संख्या: 91/सत्तर-1-2003-15(14)/92टीसी, दिनांक: 24.02.2011 तथा संख्या: 1684 /सत्तर - 1-2005-15 (14)/92, दिनांक: 12 जुलाई, 2006 में प्राचार्य के चयन हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत चयन समिति की संस्तुति के उपरान्त डॉ श्रीमती कविता श्रीवास्तव पुत्री श्री एम०एम० श्रीवास्तव को प्राचार्य पद पर चयन हेतु अनुमोदन प्रदान करने की कृपा की है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि सन्दर्भगत शासनादेश दिनांक: 09 मई, 2000 के प्रस्तर 04 के अनुसार कृत कार्यवाही करके प्राचार्य के लाभ अनुबन्ध पत्र की एक प्रति फोटो सहित विश्वविद्यालय में अविलम्ब प्रस्तुत करें एवं अनुमोदित प्राचार्य के वेतन का भुगतान बैंक के माध्यम से कराना सुनिश्चित करें।

मवदीय

सहायक कुलसचिव (सम्बद्धन)

प्रेषक,

इन्द्रदेव पटेल,  
अनु सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

कुलसचिव,  
छाती समोहर लोहिया अवधि विश्वविद्यालय,  
फैजाबाद

उच्च शिक्षा अनुभाग-६

विषय:- महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की पूर्वानुमति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-लो०३०५०/सम्/००एफ-३१७(१)/५१५/२०१०, दिनांक २९.०४.२०१० के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ (यथासंशोधित उ०प्र०राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, २००७) की घासा-३७(२) के अधीन सरदार पटेल स्मारक महाविद्यालय, लारपुर, अम्बेडकरनगर को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अंतर्गत बी०ए७० पाठ्यक्रम में १०० सीटों की प्रवेश क्षमता सहित स्ववित्तपोषित योजनानात्मक शैक्षिक सत्र २००८-०९ के परीक्षाफल के असार में दिनांक ०१.०७.२०१० से शैक्षिक सत्र २०१०-११ हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है-

१. घोषित परीक्षाकल शासनादेश के अनुसार होने की स्थिति में सत्र २०१०-११ के सम्बद्धता की पूर्वानुमति के प्रस्तुत आदेश को सम्बद्धता (रथाई) की पूर्वानुमति मानते हुए दिनांक ०१.०७.२०१० से विश्वविद्यालय स्तर से सम्बद्धता (रथाई) आदेश निर्गत किए जाएंगे तथा एतदविषयक आदेश की प्रति तत्समय शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।
२. संस्था शासनादेश संख्या-२८५१/सत्तर-२-२००३-१६(३२)/२००२, दिनांक ०२ जुलाई, २००३ में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
३. महाविद्यालय/संस्थान द्वारा बी०ए७० पाठ्यक्रम में शासन द्वारा अनुमन्य समस्त सीटों को सुसंगत एवं अद्यतन शासनादेश के अनुसार किसी शैक्षिक सत्र में होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित एवं कार्त्रिन्सिलिंग के माध्यम से आवंटित अन्याधिकारों के माध्यम से ही भरा जाएगा तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार शैक्षिक दिवसों में पठन-पाठन कराया जाएगा।
४. संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तरह उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद् द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी।
५. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ के सुसंगत प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।

भवदीय,

(इन्द्रदेव पटेल)  
अनु सचिव।

संख्या-११८७(१) / सत्तर-६-२०१०, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

१. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
२. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, लखनऊ।
३. क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, उत्तर क्षेत्रीय समिति, ए-४६, तिलकनगर, शांतिपथ, जयपुर।
४. प्रबन्धक, सरदार पटेल स्मारक महाविद्यालय, लारपुर, अम्बेडकरनगर।
५. निजी सचिव, मंत्री, उच्च शिक्षा।
६. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
१०८४५४५८०  
(इन्द्रदेव पटेल)  
अनु सचिव।